मं०-संख्या 454 (ख)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4--खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 29 अगस्त, 1977

भाद्रपद 6, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग--2

संख्या 1602/उन्तालिस-(2)-217-1964

लखनऊ, 29 अगस्त, 1977

प०आ०--434

अधिसूचना

उ० प्र० अधि० 7/65-आदेश-77-(षष्टम)--उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1965) की धारा 2 की उप-धारा (2) और (3) और धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर पूर्ववर्ती आदेशों का आंशिक परिष्कार करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के कार्य-संचालन को और उसके द्वारा जांच संचालन को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित आदेश देते हैं :

संगठन

1--(1) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन संघटित सतर्कता अधिष्ठान का मुख्यालय, लखनऊ में होगा।

(2) सतर्कता अधिष्ठान का प्रशासन पुलिस अतिरिक्त अथवा उप महानिरीक्षक से अनिम्न प्रास्थिति के अधिकारी में निहित होगा, जिसे सतर्कता निदेशक पदाभिहित किया जायगा।

(3) सतर्कता निदेशक को विभागाध्यक्ष की शक्तियां होंगी और वह सीधे सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन कार्य करेगा।

कृत्य

2--सतर्कता अधिष्ठान निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगा :

(क) लोक सेवक से सम्बन्धित भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार और अन्य कदाचार के ऐसे समस्त मामले की, जो उसकी जानकारी में आये, सूचना सरकार को देना;

(ख) किसी ऐकिक लोक सेवक या किसी विभाग, वर्ग या श्रेणी के लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अभिसूचना को अपनी पहल से या सरकार के सतर्कता विभाग के आदेश पर संग्रह करना,

(ग) भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार या अन्य कदाचार के मामलों में जो उन सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें, गुप्त या खुली जांच, और अनुसंधान करना। यह शर्त *आदेश संख्या उ0 प्र0 अधि0-7/65-आदेश 76 (पंचम), दिनांक 16 अगस्त, 1976 के अन्तर्गत आने वाले अराजपत्रित सरकारी सेवकों और तत्समान श्रेणी के लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों में जाल बिछाने पर लागू न होगी:--

परन्तु--

(1) सतर्कता अधिष्ठान को पूर्ववत् प्राधिकार है कि वह उस अराजपत्रित सरकारी सेवक के विरुद्ध सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना जांच करे जिसका आचरण किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी के आचरण के साथ अन्तर्ग्रस्त हो जिसके विरुद्ध सरकार ने जांच करने का आदेश पहले ही दिया हो, किन्तु

(2) किसी अराजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध स्वतन्त्र रूप से जांच या अनुसंधान करने के लिए सतर्कता अधिष्ठान सरकार से पूर्वादेश प्राप्त करेगा।

3--(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अधीन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केवल नियमित अनुसंधान करेगा।

(2) यदि जांच के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों को किसी ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध जिसके आचरण के बारे में उन्हें जांच करने को नहीं कहा गया हो, कोई सूचना प्राप्त हो, तो सतर्कता निदेशक ऐसी सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को आदेश के लिए अविलम्ब भेजेगा।

(3) सतर्कता अधिष्ठान को यह भी प्राधिकार है कि वह गैर सरकारी व्यक्तियों और निजी व्यापार संस्थाओं के विरुद्ध, जिन्हें लोक सेवकों के भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त पाया जाय, अनुसंधान करें, जिनके मामले जांच/अनुसंधान के लिए उसे सौंपे जायं।

(4) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध जांच के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों को उस सेवक के विरुद्ध घूसखोरी या दुराचरण का कोई ऐसा अन्य मामला मिले जो उनको पहले दिये गये आदेश के अन्तर्गत न आता हो तो सतर्कता निदेशक/सेक्टर कार्यालय का प्रभारी अधिकारी ऐसी सूचना तत्काल सरकार के सतर्कता विभाग को अग्रेतर अनुदेश के लिए भेजेगा। यदि सतर्कता अधिष्ठान का अधिकारी यह समझे कि तत्काल कार्यवाही न किये जाने पर ऊपर निर्दिष्ट घूस खोरी या दुराचरण के सम्बन्ध में साक्ष्य खो सकता है या उसमें हेर-फेर किया जा सकता है तो वह सरकार के आदेश प्राप्त होने तक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, किन्तु इस प्रकार की गई कार्यवाही की सूचना सरकार के सतर्कता विभाग को तुरन्त देगा।

शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया

4--(1) सतर्कता अधिष्ठान नीचे उप-प्रस्तर (2) में उल्लिखित शिकायतों से भिन्न प्राप्त शिकायतों को, टिप्पणी सहित या रहित, सरकार के सतर्कता विभाग को आदेशार्थ भेजेगा।

(2) निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और उन्हें निक्षेप कर दिया जायेगा, जब तक कि किन्हीं विशेष कारणों से सतर्कता निदेशक उन्हें सरकार को भेजने का विनिश्चय न करें:--

(एक) अनाम और छद्मनामी शिकायत;

(दो) मुद्रित पर्चे, पैम्फलेट आदि जिनकी प्रतियां सरकार के अनेक अधिकारियों को भेजी गई हों; और

(तीन) शिकायत जो प्रथम दृष्ट्या सारहीन हो।

रिपोर्ट प्रस्तुत करना

5--(1) जिन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान को जांच या अनुसंधान करने को कहा जाय, उन सभी मामलों में वह जांच या अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सरकार के सतर्कता विभाग को ऐसे अन्तराल पर देगा जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) जब जांच या अनुसंधान पूरा हो जाय, तब अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग को अपने निष्कर्ष को समाविष्ट करते हुए सविस्तार आख्या प्रस्तुत करेगा, और

(क) यदि मामला अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त पाया जाय तो आख्या के साथ आरोपों का प्रारूप भी भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक आरोप के साथ दिए जाने वाले प्रस्तावित साक्ष्य की संक्षिप्त और मामलों का संक्षिप्त तथ्य होना चाहिए।

(ख) (एक)--यदि मामला न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना हो तो अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग को आदेश के लिये अपनी सविस्तार आख्या, आरोप-पत्र की दो प्रतियों और अन्य सुसंगत सामग्री सहित प्रस्तुत करेगा। किसी भी स्थिति में अधिष्ठान आरोप-पत्र को सीधे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

*असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट, भाग 4 खण्ड-ख में अधिसूचना संख्या 2598/39)27-33-(10-3) 76, दिनांक 16 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित।

(दो) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन राज्य सरकार के निदेश और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी अन्य उपबन्ध को जिसमें पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो, अपेक्षानुसार समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जायेगा।

6--शासन का सतर्कता विभाग सविस्तार आख्या को परीक्षा करने के पश्चात् यह विनिश्चय कर सकेगा कि निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही की जाय:--

(1) उसे अभियोग चलाने के लिए आरोप-पत्र के साथ न्यायालय को भेजा जाय;

(2) उसे अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रशासनिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाय;

(3) उसे विभागीय कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को निर्दिष्ट किया जाय;

(4) उस मामले को समाप्त किया जाय।

7--प्रत्येक मामले में, समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जिसे उपर्युक्त पैरा 6 में बताई गई कोई कार्यवाही करने के लिए शासन के सतर्कता विभाग द्वारा आवश्यक निदेश दिया जाय।

8--सतर्कता निदेशक उन व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की पहल कर सकता है जिन्हें लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा के अभाव या अन्य कदाचार की, मिथ्या या सारहीन शिकायत करने वाला पाया जाय।

कर्मचारिवर्ग

9--राज्य सरकार सतर्कता अधिष्ठान के लिये ऐसे कर्मचारिवर्ग और उतने विधिक सलाहकारों और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जितने सरकार अधिष्ठान के कृत्यों का उचित रूप से संपादन करने के लिये समय-समय पर आवश्यक समझे।

10--(1) जांच या अनुसंधान करने वाले अधिष्ठान के किसी सदस्य को ऐसा सभी शासकीय अभिलेख सुलभ होगा जो जांच या अनुसंधान किये जाने वाले मामले से सम्बन्धित हो और कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा अभिलेख हो, अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसी मांग करने पर, तत्काल ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करेगा और अनुसंधानकर्ता अधिकारी को जांच या अनुसंधान में सभी अन्य आवश्यक सहायता देगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अनुसंधान के अन्तर्गत अपराध से सम्बन्धित सम्पत्ति को कब्जा में लेने की शक्ति का प्रयोग, जहां तक उसका सम्बन्ध शासकीय अभिलेखों से है, अधिष्ठान के सदस्यों द्वारा तभी किया जायगा जब वांछित अभिलेख के खो जाने, नष्ट किये जाने अथवा उसमें हेर-फेर किये जाने की पर्याप्त युक्तियुक्त आशंका हो, जिसे अनुसंधान दैनंदिनी में अभिलिखित किया जायगा।

11--यह आदेश, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1602/XXXIX(2)—217-1964, dated August 29, 1977:

No. 1602/XXXIX(2)—217-1964

Dated Lucknow, August 29, 1977

UPA-7/65—Order/77 (Sixth)—IN exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 2 and sub-section (1) of section 4 of the U. P. Vigilance Establishment Act, 1965 (Act no. VII of 1965) and in partial modification of the previous orders of the subject the Governor is pleased to make the following order regulating the working and conduct of enquiries by the U. P. Vigilance Establishment :—

Organisation.

1. (1) The Vigilance Establishment constituted under sub-section (1) of section 2 of the U. P. Vigilance Establishment Act, 1965 (to be hereinafter called as the Act), shall have its headquarters at Lucknow.

(2) The administration of Vigilance Establisment shall vest in an officer not below the status of Additional or Deputy Inspector General of Police, who shall be designated as the Director of Vigilance.

(3) The Director of Vigilance shall have the powers of Head of Departe[illegible] and shall function directly under Government in the Vigilance Departmen[illegible]

Functions.

2. The Vigilance Establishment shall perform the following functio[illegible]

(*a*) Keep the Government informed of all the cases of corrupt[illegible] bribery, misconduct, misbehaviour and other malpractices involving pu[illegible] servants that come to its notice ;

(*b*) Collect intelligence on its own initiative or on the orders of Govern- ment in the Vigilance Department relating to corruption of any in[illegible]- vidual public servant or public servants belonging to a department c[illegible] or category ;

(*c*) Make enquiries, secret or open, and investigations into [illegible] of corruption, bribery, misconduct, misbehaviour or other [illegible] practices, that may be referred to it from time to time by the Gov[illegible] ment in the Vigilance Department. This condition shall not apply [illegible] trap cases against non-gazetted Government servants and Public servant[illegible] of similar rank covered by order* no. UPA-7/65—Order/76 (Fifth) dated August 16, 1976 ;

Provided that—

(1) the Vigilance Establishment is as before authorised to take up enqui[illegible] without prior permission of Government against a non-gazetted Govern- ment servant whose conduct may be involved with the conduct [illegible] a gazetted officer against whom an enquiry had already been authorised by Government, but

(2) for taking up an independent enquiry or investigation again[illegible] a non-gazetted official prior orders of Government shall be obtained by the Vigilance Establishment.

3. (1) In the cases under the Prevention of Corruption Act 1947 the Vigilance Establishment shall make only regular investigation in accordance with the provisions of the Act.

(2) If during the course of enquiry officers of the Vigilance Establishmen[illegible] receive any information against a Government Servant, whose conduct the[illegible] have not been asked to enquire into, the Director of Vigilance shall withou[illegible] delay forward such information to Government in the Vigilance Departmen[illegible] for orders.

(3) The Vigilance Establishment is also authorised to make investiga[illegible] against non-officials and private concerns found involved in the corrupt[illegible] of public servants whose cases may be entrusted to it for enquiry/investigat[illegible]

(4) If during the course of an enquiry against a public servant officers of the Vigilance Establishment receive any information of any other instance of corruption or misconduct of that servant which is not covered by the order[illegible] already given to them the Director of Vigilance/the Officer in charge of the sect[illegible] office shall immediately send such information to Government in the Vigilance Department for further instructions. An officer of the Vigilance Establishmen[illegible] may if he considers that the evidence in respect of corruption or misconduc[illegible] referred to above, may be lost or tampered with if immediate action were not taken, take such action as he may consider necessary pending receipt of orders of Government, but shall forthwith report the action so taken to Govern- ment in the Vigilance Department.

Procedure for dealing with complaint.

4. (1) The Complaints received by the Vigilance Establishment other than those mentioned in sub-para (2), below shall be forwarded with or without com- ments to Government in the Vigilance Department for orders.

(2) No action shall be taken on complaints of the following nature and they shall be deposited unless for any special reasons the Director of Vigilance de- cides to forward the same to Government :—

(i) anonymous and pseudonymous complaints ;

*Published, *vide* notification no. 2598/39(2)—33(10—3)-76 dated Augnst 16, 1976, in *Gazette Extraordinay*, Vidhai Parishishta Part 4 section B.